फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

[illegible] उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

[illegible] सन् 2015 किस्म मुकदमा वाद

[illegible] बनाम देवीसिंह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय [illegible] अभियान-2017 कैम्प कोर्ट अटल [illegible] जनावद पर रखने से आज पेश [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] के अवलोकन से सिद्ध है कि ग्राम [illegible] की आ. नं. 1792/1273 रकबा [illegible] 5-00 भूमि वादी एवं अन्य खातेदारों [illegible] सहखातेदारी भूमि है। वादी द्वारा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है मात्र [illegible] में अंकित किया है कि उक्त भूमि वादी [illegible] वादी के संयुक्त परिवार के सदस्य खातेदार [illegible] पुत्रवादी का कोई हक अधिकार नहीं है [illegible] भूमि पर वादी के पक्ष में [illegible] प्रतिवादी [illegible] इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा चाही [illegible] एवं कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं [illegible] कोर्ट नहीं गिराये। परन्तु उक्त [illegible] सहखातेदारी की भूमि है व सहखातेदारों [illegible] पक्षकार नहीं बनाकर उक्त भूमि [illegible] पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही जा रही है [illegible] समझ से परे है। वादी को सहखातेदारों [illegible] पक्षकार बनाना चाहिये था। ताकि [illegible] सहखातेदार भी अपना पक्ष रख [illegible]। सहखातेदारी में वादी का कौन [illegible] है जरूरी नक्शा [illegible]	देवीसिंह